

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०११

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीगंज पारंगी** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक जेड-२**
3. वर्तमान वंत्तन **10888-12800** (अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01/07/2011**)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
वेणुवा	पेठुसूह प्लॉट नंबर 21x608.11 = 1260.511	-	स्वयं के नाम पर है	पेठुसूह की तारीख ए.एस.एन.का निर्माण; गारंटीयर्ड किंग डी.एस. 530 (लाइव फ्लैट प्रॉजैक्ट) डि.ए.ए.ए. 6234 प्र.गं.डी.ए.ए.के प्लॉट नंबर पेठुसूह है।	रू. 21600 नासिआय प्रॉड्यूसि है।	(8)

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 •• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहले की अवधि के पर्याप्त-पर धर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके जगह अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर की किसी भी तरह की संपत्ति का विवरण भी दर्ज करें।

रजि. नं. 02/2011  
 28/3/2011  
 श्रीगंज पारंगी  
 सहायक जेड-२